



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227032



क्रमांक: एफ 61(271)SSAAT/कलैण्डर/2023-24/4549

दिनांक 12/10/2023

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा योजना)
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 की प्रथम एवं द्वितीय छःमाही के सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा दिनांक 15.10.2023 को आयोजित करने बाबत।


संदर्भ:- शासन सचिव ग्रामीण विकास के समसख्यंक पत्र संख्या 447 दिनांक 10.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 447 दिनांक 10.05.2023 द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 की प्रथम एवं द्वितीय छःमाही के सामाजिक अंकेक्षण दिनांक 09.10.2023 से 14.10.2023 तक पूर्व निर्धारित कलैण्डर दिनांक 15.05.2023 के अनुसार किया जा रहा है तथा सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा दिनांक 15.10.2023 को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा चुनाव 2023 की धोषणा दिनांक 09.10.2023 को होने पर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिए जाने बाबत प्रकरण मुख्य चुनाव अधिकारी को भिजवाया जा रहा है। अतः आगामी आदेशों तक सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है।

भवदीय,


(संदीप चौहान)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांक: एफ 61(271)SSAAT/कलैण्डर/2023-24/4550-58

दिनांक 12/10/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त जिला परिषद समस्त।
5. कार्यक्रम समन्वयक एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।
6. समस्त लोकपाल नरेगा।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी SSAAT।
8. प्रोग्रामर SSAAT।
9. रक्षित पत्रावली।



(मनोज कंवर)
उपनिदेशक (SSAAT)